निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 111/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार** देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून **के माह** जून 2012 नवम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 14.12.2016 से 21.12.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा** श्री एस.के जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री के.एस. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06. 2012 से 22.06.2012 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2008 से माह 05/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2012 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -इकाई द्वारा राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश के परिधि क्षेत्र में आने वाले जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**			**गैर स्थापना**		
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/ आधिक्य**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/ आधिक्य**
2012-13	Nil	8.83	590.99	560.43	30.56	174.65	180.57	2.91
2013-14	Nil	2.91	709.25	634.49	74.61	257.69	256.50	4.09
2014-15	Nil	4.09	812.53	745.87	66.66	408.38	401.52	10.95
2015-16	Nil	10.95	812.13	739.57	72.55	369.01	333.53	46.44
2016-17 (upto 11/2016)	Nil	46.44	800.13	566.36	233.78	134.94	170.93	10.44

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

धनराशि ` लाख में

क्र.सं.	योजना का नाम	2014-15			2015-16		
		प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय
		-Nil-					

इकाई को बजट आवंटन महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है।

कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है-:

सचिव, चिकित्सा–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. चिकित्सालय, ऋषिकेश।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ट्रामा सेन्टर का निर्माण, दवाओं का क्रय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना आदि। प्रतिचयन यादृच्छिक के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद -के अधीन बनाये गये नियंत्रक 149 डी पी सी) 1971 ,अधिनियम (शक्तियां तथा सेवा की शर्ते ,कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के की धारा (1971 ,एक्ट13 2007 ,लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम ,तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1 : ट्रामा सेंटर के संचालित न होने के बावजूद चिकित्सालय स्तर पर रू0 373.53 लाख का परिहार्य व्यय।

एस पी एस राजकीय चिकित्सालय के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापीरक्षा जांच के दौरान पाया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी चिकित्सालयों में आपातकालीन सुविधाओं के उच्चीरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक योजना प्रारम्भ (2005 जुलाई) की गयी थी जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के चयनित सरकारी चिकित्सालयों में आपातकालीन सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 150.00 लाख (02 एंबुलेंस हेतु रू0 20 लाख + सिविल निर्माण (ट्रामा सेंटर) हेतु रू0 63.00 लाख + संचार व्यवस्था हेतु रू0 1.00 लाख + उपकरणों की साज सज्जा हेतु 66.00 लाख प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा उस पी एस चिकित्सालय, ऋषिकेश में ट्रामा सेंटर की स्थापना किए जाने संबंधी निर्णय लिये जाने के उपरांत महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून स्तर से उक्त एस पी एस चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर के निर्माण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव मांगे जोने (2005 अक्टूबर) के क्रम में इकाई द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण किए जाने के पश्चात एस पी एस चिकित्सालय को मार्च 2010 में हस्तान्तरित किया गया। संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप भी नहीं कराया गया था क्योंकि उक्त ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन की पाइप लाइन की फिटिंग इकाई द्वारा कराई ही नहीं की गयी थी।

संप्रेक्षा के दौरान आगे यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्तर से उक्त ट्रामा यूनिट के लिए पदों के सृजन आवश्यकता हेतु महानिदेशक, चिकित्सालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचित (2009 सितम्बर) किए जाने के उपरांत शासन स्तर से कुल 33 पद (02–सर्जन, 2–आर्थोपेडिक सर्जन, 02–रेडियोलॉजिस्ट, 02–निश्चेतक, 03–ई एम ओ, सिस्टर–02, स्टॉफ नर्स–06, एक्स–रे टैनीशियन–2, वाहन चालक–02, कक्ष सेवक–03, वार्ड आया–03, सफाई कर्मचारी–04, स्वीकृत (2010 मई) किए गए थे। उक्त पदों में क्रमांक एक से सात तक के 19 पदों को अस्थाई पदों से भरा जाना था तथा क्रमांक आठ पर अंकित पद को संविदा पर तथा क्रमांक 9 से 12 तक पदों को आउट सोर्सिंग से भरा जाना था। जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त ट्रामा यूनिट के संचालन हेतु विगत वर्षों से वर्तमान तक स्वीकृत 33 पदों के सापेक्ष मात्र 18 पद स्थानान्तरण एवं आउट सोर्सिंग (सिस्टर–01, स्टाफ नर्स–06, वाहन चालक–01, कक्ष सेवक–03, वार्ड आया–03 एवं सफाई कर्मचारी–04) के द्वारा (अप्रैल–मई

2011) भरे गए थे। उक्त भरे गए पदों के वेतन एवं भत्तों पर वर्ष 2011–16 (नवम्बर–2016 तक) की अवधि में में रू0 373.53 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। जबकि उक्त ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु अति आवश्यक पद जैसे सर्जन, अर्थोपेडिक सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, निश्चेतक, इ एम ओ के पदों पर वर्ष तक की अवधि में 17–2016 से 12–2011 न तो तैनाती की जा सकी थी एवं न ही उक्त ट्रामा सेंटर हेतु अति आवश्यक उपकरण एवं साजसज्जा का सामान ही महानिदेशालय स्तर से उपलब्ध कराया जा सका था। जिसके अभाव में उक्त ट्रामा सेंटर पांच वर्षों से भी अधिक अवधि से क्रियाशील नहीं हो पाया था।

संप्रेक्षा के दौरान आगे जांच में यह भी पाया गया कि उक्त ट्रामा सेंटर के पांचा वर्षों से भी अधिक अवधि में रू0 417.05 लाख की धनराशि (रू0 43.52 लाख ट्रामा सेंटर का निर्माण+रू 373.53 लाख वेतन एवं भत्ते) व्यय किए जाने के उपरांत भी विभागीय शिथिलता के कारण क्रियाशील नहीं हो पाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011–16 कि अवधि में घटित दुर्घटनाओं में घायल 653 गंभीर रोगियों को चिकित्सालय द्वारा अन्य उच्च चिकित्सा केन्द्रों को संदर्भित (Refer) किया गया। उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में ट्रामा सेंटर हेतु वांछित अति आवश्यक मान संसाधन, उपकरणों एवं साज सज्जा के सामान हेतु लगातार महानिदेशालय स्तर से मांग की जाती रहीं है परन्तु महानिदेशालय स्तर से इस संबंध में कोई लेखापरीक्षा द्वारा ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु अति आवश्यक पद जैसे सर्जन, अर्थोपेडिक सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, निश्चेतक, इ एम ओ आदि के पदों पर तैनाती न होने के बावजूद अन्य पदों पर तैनाती करते हुए 2011–16 की अवधि में वेतन एवं भत्तों पर रू0 373.53 लाख के परिहार्य व्यय के संबंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि ट्रामा सेंटर हेतु वांछित अति आवश्यक पदों को महानिदेशालय स्तर से भरे जाने की प्रत्याशा में अन्य पदों को भर लिया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि जब ट्रामा सेंटर विगत वर्षों में क्रियाशील ही नहीं हो पाया तो अस्थायी तौर एवं आउट सोर्सिंग पर भरे गए कार्मिकों से क्या कार्य लिया जा रहा है, के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्मिकों से चिकित्सालयों के अन्य कार्य कराये जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के उत्तर में स्वतः ही स्पष्ट है कि जहां एक ओर महानिदेशालय स्तर से बरती गयी शिथिलता के कारण ही ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु अति आवश्यक पद जैसे सर्जन, अर्थोपेडिक सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, निश्चेतक, ई एम ओ आदि के पदों पर तैनाती एवं आवश्यक उपकरण छः वर्षों से भी अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी उपलब्ध नहीं हो सके। जिसके परिणामस्वरूप ही वर्ष 2011–16 की अवधि में घटित दुर्घटनाओं में घायल 653 गंभीर रोगियों को चिकित्सालय द्वारा अन्य चिकित्सा केन्द्रों को संदर्भित (Refer) करना पड़ा वहीं दूसरी ओर चिकित्सालय स्तर पर 2011–16 की अवधि में अस्थायी तौर एवं आउट सोर्सिंग पर भरे गए कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों पर रू0 373.53 लाख का परिहार्य व्यय भी करना पड़ा।

अतः विभागयी शिथिलता के परिणामस्वरूप ट्रामा सेंटर के संचालित न होने के बावजूद चिकित्सालय स्तर पर रू0 373.53 लाख के परिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्त0र 1 : औषधियों की गुणवत्ता की जांच किए बिना एवं अधिक पुरानी औषधियों को क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप रू0 115.22 लाख का अनियमित व्यय।

शासनादेश सं0 932/XXVIII-4-2014-28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं0 18 के अनुसार एक समय में क्रय की गई विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रेण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाने का प्रावधान है। उक्त शासनादेश के बिन्दु 31 के अनुसार जिन औषधियों का रेण्डम सैम्पल लिया गया है उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा गन्त्वय स्थल तक पहुंचने के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत गुणवत्ता सम्बन्धी जांच आख्या प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर किया जाने का प्रावधान है। बिन्दु सं0 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस पी एस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश, देहरादून के केन्द्रीय औषधि भण्डार से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

– कार्यालय द्वारा केन्द्रीय औषधि भण्डार के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से लेकर 2016–17 (नवम्बर 2017) तक के दौरान रू0 115.22 लाख (वर्ष 2014–15 में रू0 53.63 लाख एवं वर्ष 2015–16 में रू0 55.44 लाख एवं 2016–17 में रू0 6.15 लाख) की औषधियों की आपूर्ति ली गई।

– वित्तीय वर्ष 2014–15 से लेकर 2016–17 (नवम्ब्र 2017 तक) में आपूर्तिकर्ता 332 किस्म की औषधियों (लागत रू0 115.22 लाख) के सापेक्ष कार्यालय को 20 प्रतिशत रेण्डम नमूने औषधियों की जांच हेतु भेजे जाने चाहिए थे जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप न तो औषधियों की वास्तविक गुणवत्ता का पता चल पाया कि वे उपयोग हेतु उपयुक्त हैं बल्कि औषधियों को जन–सामान्य के उपयोग हेतु अवमुक्त कर दिया गया। जो कि न केवल शासनादेश के दिशा–निर्देशों के विपरीत था बल्कि जन–मानस के स्वास्थ्य की भी अनदेखी की गयी।

– केन्द्रीय औषधि भण्डार में आपूर्ति की गई 332 किस्म की औषधियों जिनकी लागत रू0 115.22 लाख थी, उनके निर्माण की तिथि से काफी पुरानी अवधि की क्रय की गयी विश्लेषण में पाया कि क्रय की गयी पुरानी औषधियों की अवधि 04 माह से 29 माह तक थी, जिसके परिणामस्वरूप

औषधियों को वितरण करने हेतु पर्याप्त समय नही मिल पाता है तथा बिना आवश्यकता के उनका उपयोग किया जाना भी विभाग की मजबूरी हो जाती है।

–कार्यालय द्वारा क्रय की गयी समस्त औषधियों का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत–प्रतिशत एक बार में किया गया। जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाये जाने की सम्भावना बनी रहती है वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवता प्राप्त होने पर उसके एवज में वापसी एवं पुनः आपूर्ति की सम्भावना भी खत्म हो जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस पी एस राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश देहरादून ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया कि औषधि क्रय में शासनादेश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं क्रय की गई औषधियों में से रेण्डम सैम्पल हेतु नमूना जांच में न भेजे जाने के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय स्तर पर औषधियों कम मात्रा में क्रय की जाती है एवं जिनकी तत्काल आवश्यकता के कारण उनकी नमूना जांच नहीं करायी जा पाती। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए था। अतः चिकित्सालय स्तर पर औषधियों की गुणवत्ता की जांच किए बिना एवं अधिक पुरानी औषधियों को क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप रू0 115.22 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

अत : प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो–ब

प्रस्तरः 02 चिकित्सालय प्रबन्धन की उदासीनता के कारण बीमा कम्पनी द्वारा रु0 2,13,225/ के दावों को निरस्त किये जाने तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 3,09,563/ को चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में हस्तान्तरित न किया जाना।

एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम से सम्बन्धित ईलाज हेतु भर्ती मरीजों के ईलाज पर चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा व्यय का वहन चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किया जाता है। जिसके सापेक्ष बीमा कम्पनी द्वारा उनके चिकित्सा पर किये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति की धनराशि का 80 प्रतिशत चिकित्सा प्रबन्धन समिति को तथा 20 प्रतिशत की राशि डाक्टर, नर्स एवं अन्य समबन्धित कार्मिकों में पारितोषिक के रुप में वितरित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान 388 लाभार्थियों से सम्बन्धित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि रु0 14,19,375/ का दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें से 275 लाभार्थियों से सम्बन्धित धनराशि रु0 12,06,150/ के दावों को बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया तद्नुसार प्रतिपूर्ति कर दी गयी। उपरोक्त अवधि में 113 लाभार्थियों के रु0 2,13,225/ की धनराशि से सम्बन्धित दावों को बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकृत किया गया। बीमा कम्पनी द्वारा दावों को अस्वीकृत किये जाने का कारण अपूर्ण केश विवरण, अपूर्ण ओ.टी. नोट, 24 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज, जॉच रिपोर्ट की अनुपलब्धता, गलत पैकेज का चयन आदि बताया गया। इस प्रकार से चिकित्सालय प्रबन्धन की उदासीनता के कारण बीमा कम्पनी द्वारा रु0 2,13,225/ के दावों को निरस्त किया गया। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की जॉच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की चिकित्सा प्रबन्धन समिति की प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 3,09,563/ को विगत 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि तक हस्तान्तरित नहीं की गयी थी। यह भी पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि में बीमा कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं था, केवल अगस्त 2016 में सम्पादित अनुबन्ध की प्रति ही उपलब्ध पायी गयी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि भविष्य में सभी प्रकरण की पूर्ण सूचना सहित प्रेषित किया जाएगा, जिससे बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी दावे को अस्वीकृत न किया जा सके तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि शीघ्र ही चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी। यह भी अवगत कराया कि भविष्य में अनुबन्ध की प्रति चिकित्सालय स्तर पर रखी जाएगी।

अतः चिकित्सालय प्रबन्धन की उदासीनता के कारण बीमा कम्पनी द्वारा रु0 2,13,225/ के दावों को निरस्त किये जाने तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 3,09,563/ को चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में हस्तान्तरित न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : जननी सुरक्षा योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने तथा 401 लाभार्थियों को रु0 5.03 लाख की धनराशि का भुगतान न किया जाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान माता एवं शिशु की मृत्युदर में कमी लाने के साथ–साथ संस्थागत प्रसव को बढावा देना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण लाभार्थी को रु0 1400/ तथा शहरी लाभार्थी को रु0 1000/ की धनराशि का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। सहायता राशि का भुगतान केवल लाभार्थी को किया जाएगा अर्थात लाभार्थी के सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्ति को नहीं। सहायता राशि का भुगतान एक माता–पिता के 02 जिवित बच्चों तक के लिए देय है तथा धनराशि का भुगतान चिकित्सालय द्वारा प्रसव के दौरान चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के समय अथवा प्रसव के 07 दिनों के अन्दर कर दिया जाना होता है।

एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2012–13 से 2016–17 (माह 11/2016 तक) के दौरान 13,619 लाभार्थियों को कुल धनराशि रु0 174.70 लाख की सहायता राशि का भुगतान करते हुए लाभान्वित किया गया था। भुगतान पंजिका की जॉच में पाया गया कि सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी/माता के अतिरिक्त उनके सम्बन्धी जैसे पति, सास, बहन, भाई आदि को भी किया गया था तथा चिकित्सालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था कि लाभार्थी के केवल दो जिवित बच्चों के जन्म के लिए ही सहायता राशि का भुगतान किया जाय। यह भी पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा चेक बैंक में प्रस्तुत न किये जाने तथा चिकित्सालय द्वारा प्रसव के दौरान चेक लाभार्थी को हस्तगत न किये जा सकने के कारण कुल 74 लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया जा सका था। इन लाभार्थियों में से हस्तगत न किये गये चेकों से सम्बन्धित 43 लाभार्थियों से सम्बन्धित धनराशि को रोकड बही में वापस ले लिया गया है जबकि इन लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने सम्बन्धी सूचना प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है तथा इस धनराशि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में प्रगति प्रतिवेदन में कोई संशोधन नहीं किया गया और न ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया। आगे यह भी पाया गया कि लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान निर्धारित 07 दिनों के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा था। एक माह के लाभार्थियों को एक साथ बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा था। माह अक्टूबर एवं नवम्बर के 256 ग्रामीण लाभार्थी एवं 145 शहरी लाभार्थी धनराशि रु0 5,03,400/ का भुगतान आतिथि अर्थात दिनांक 20 दिसम्बर तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में समय सीमा के अन्तर्गत लाभार्थी को सहायता राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा अक्टूबर एवं नवम्बर माह के लाभार्थियों को शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा।

अतः जननी सुरक्षा योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने तथा 401 लाभार्थियों को रु0 5.03 लाख की धनराशि का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
109/2005-06	01	04	Nil
145/2008-09	Nil	01, 02	Nil
34/2012-13	01	0 1, 04, 05	Nil

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
109/2005-06	II-A-01 IIB-04	अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध्रा में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।		
145/2008-09	II-A-Nil IIB-01, 02			
34/2012-13	II-A-01 IIB-01, 04, 05			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

---------- शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय** मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून **तथा** उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **-** शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1	डा. एस.पी. अग्रवाल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
2	डा. एस.डी. सकलानी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस.पी.एस. राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून **को इस आशय से** प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)